

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

---:: || आदेश ||:---

भोपाल, दिनांक: 05/12/2023

क्रमांक: 1125/ आउशि/ संबद्धता/ 2023: प्रदेश में सत्र 2024-25 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन कक्षा/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु संबद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।
3. सत्र 2024-25 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक समिति/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने एमपीऑनलाइन के पोर्टल पर "ऑनलाइन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 30/09/2023 निर्धारित की गई थी।
4. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
5. संस्था द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारित अवधि में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।
6. संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये गये दस्तावेजों एवं इण्डकशन कार्यक्रम में निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन अपलोड दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मार्गदर्शिका में वर्णित अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण तथा अनुवीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदन उपरांत पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय को प्रारंभ करने हेतु अनापति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	विवरण	बिंदु क्रमांक	टीप
1.	विश्वविद्यालय का नाम	VIKRAM UNIVERSITY, UJJAIN	
2.	समिति/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	GURU GOVIND SINGH TRI-CENTENARY EDUCATION SOCIETY	
3.	विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय का नाम एवं पता	P768 - MAHARAJA COLLEGE UJJAIN, DIST. UJJAIN NEAR ABHILASHA COLONY DEWAS ROAD UJJAIN DIST. UJJAIN DIST. UJJAIN DIST. UJJAIN DIST. UJJAIN DIST. UJJAIN	
4.	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	NEW FACULTY:- B. A. (ALL YEAR) COMPUTER, GEOGRAPHY, HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY B. COM (ALL YEAR) ACCOUNT, BUS.LAW, COMPUTER	
5.	मान्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	NEW FACULTY:- B. A. (ALL YEAR) COMPUTER, GEOGRAPHY, HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY B. COM (ALL YEAR) ACCOUNT, BUS.LAW, COMPUTER	
6.	अमान्य: नवीन पाठ्यक्रम/ कक्षा/ विषय	Nil	

7. संबंधित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्रों के लिये सम्बद्धता हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि अनापति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की तिथि से 07 दिवस होगी। अतः सम्बद्धता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में समयसीमा में प्रस्तुत किया जाये।
8. मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक-23 बिन्दु क्रमांक-14.7 (ख) के परिपालन में यह अनापति प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य होगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाये।
10. उपरोक्त अनापति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।
11. किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
12. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।



(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्र. 1126/ आउशि/ संबध्दता/ 2023

भोपाल, दिनांक: 05/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (म.प्र.)।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल (म.प्र.)।
4. संबंधित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय UJJAIN (म.प्र.)।
5. संबंधित कुलसचिव, Vikram University, Ujjain, (म.प्र.)।
6. प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, (म.प्र.)।
7. संबंधित संस्था P768 - MAHARAJA COLLEGE UJJAIN, DIST. UJJAIN के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
.....सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.